भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 121

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

धेखाधड़ी के मामले

†121. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में विदेशों में नौकरी प्रदान करने के नाम पर धेखाधड़ी करने के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'विदेशों में नौकरी प्रदान करने के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों' से संबंधित विशेष शीर्ष के अंतर्गत आंकड़े नहीं रखता है।

विदेश मंत्रालय में उन भारतीय प्रवासियों से और/अथवा उनकी ओर से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिन्हें अवैध एजेंटों/फर्जी एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी से विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जाता है और तत्पश्चात उन्हें धोखाधड़ी, नौकरियों की मनाही, कामकाज की खराब परिस्थितियों आदि का सामना करना पड़ता हैं। धोखाधड़ी का शिकार होने वाले प्रवासियों की शिकायतों के पंजीकरण हेतु विदेश मंत्रालय में ऑनलाइन 'मदद' और 'ई-माइग्रेट' पोर्टलों सहित ठोस शिकायत निराकरण तंत्र मौजूद है।

ऐसे अवैध एजेंटों के ब्यौरे प्राप्त होने पर, ये शिकायतें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाती हैं, जिसमें उनसे अवैध एजेंटों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें अभियोजित करने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकार/पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर, विदेश मंत्रालय द्वारा अभियोजन की मंजूरी अविलम्ब जारी की जाती है, ताकि वे दोषी अवैध एजेंटों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। जहां कहीं अपेक्षित होता है, इन शिकायतों को विदेशी मिशनों/पोस्टों को भी भेजा जाता है, ताकि वे इन शिकायतों पर स्थानीय प्रायोजकों और/अथवा सरकार के साथ आगे की तत्काल कार्रवाई कर सकें और पीड़ित व्यक्तियों को राहत/उनकी रिहाई हेतु हर संभव सहायता प्रदान की जा सके।

******